भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1163

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

पंजीकृत बाल देखभाल संस्थाएं

1163. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:
कुंवर दानिश अली:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में जिला-वार पंजीकृत बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) की कुल संख्या कितनी है;
(ख) उक्त राज्यों में प्रत्येक सीसीआई में अनाथ/परित्यक्त/मुक्त कराए गए बच्चों की जिला-वार कुल संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने सीसीआई में बच्चों की सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण में सुधार करने के लिए कोई योजना शुरू की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) : तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) की जिलावार कुल संख्या (दिनांक 31.12.2023 तक) **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख): मिशन वात्सल्य योजना के तहत दिनांक 31.03.2023 तक सहायता प्राप्त तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य में अनाथ/परित्यक्त/बचाए गए बच्चों सहित देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की कुल संख्या क्रमशः 7785 और 3238 है।

(ग) और (घ) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय(बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) (2021 में यथासंशोधित) प्रशासित कर रहा है,

जो बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने का मुख्य कानून है। इस अधिनियम में देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके उनकी सुरक्षा का प्रावधान है।

यह बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए देखभाल और संरक्षण के मानकों को परिभाषित करता है। जेजे अधिनियम, 2015 के तहत, बाल कल्याण समितियों को देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के संबंध में उनके सर्वोच्च हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है। उन्हें बाल देखरेख संस्थानों(सीसीआई) के कार्य की निगरानी के लिए भी अधिदेशित किया गया है। इस प्रकार, किशोर न्याय बोर्ड, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के कल्याण से संबंधित निर्णय लेने के लिए अधिकार प्राप्त है।

किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। जेजे अधिनियम, 2015 में निर्दिष्ट है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी बच्चे के अस्थायी अभिग्रहण, देखभाल और पुनर्वास के लिए प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में या तो स्वयं या स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अवलोकन गृहों की स्थापना और रखरखाव करेगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विषम परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाले बच्चों को सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लागत हिस्सेदारी आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से मिशन वात्सल्य (पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा स्कीम) नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम भी क्रियान्वित कर रहा है। सरकार देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को सांविधिक और सेवा प्रदायगी संरचनाओं का सुरक्षा तंत्र प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन वात्सल्य स्कीम के अंतर्गत स्थापित बाल देखरेख संस्थाएं (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि को सहायता प्रदान करती हैं। इस योजना में सीसीआई में पीटी प्रशिक्षक-सह-योग प्रशिक्षक का भी प्रावधान है। गैर-संस्थागत देखभाल के अंतर्गत देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को प्रायोजन, पालन-पोषण और पश्च देखभाल के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

अनुलग्नक- I

पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों के संबंध में लोकसभा में दिनांक 09.02.2024 को डॉ. कलानिधि वीरस्वामी और कुंवर दानिश अली द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1163 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

क. तमिलनाडु में पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों की जिलेवार कुल संख्या (दिनांक 31.12.2023 तक)

क्र.सं.	जिला	पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों की संख्या
1	अरियालूर	8
2	चेंगलपट्टू	51
3	चेन्नई	6
4	चेन्नई-उत्तर	44
5	चेन्नई-दक्षिण	43
6	कोयंबटूर	40
7	कुड्डालोर	20
8	धर्मपुरी	21
9	डिंडीगुल	29
10	इरोड	20
11	कल्लाकुरिची	3
12	कांचीपुरम	27
13	कन्याकूमारी	63
14	करूर	3
15	कृष्णागिरी	19
16	मदुरै	37
17	माइलादुत्रयी	6
18	नागपट्टिनम	13
19	नम्माकल	11
20	नीलगिरी	18
21	पेरम्बलुर	3
22	पुडुकोट्टई	18
23	रामनाथपुरम	1
24	रामनाद	9
25	रानीपेट	8
26	सलेम	30
27	शिवगंगा	14
28	तेनकासी	14
29	तंजावुर	30
30	थेनी	11
31	थिरुपाथुर	14
32	तिरुपूर	10
33	तिरुनेलवेली	51
34	तिरुवल्लुर	65
35	तिरुवनमलाई	16
36	थिरुवरुर	3
37	थूथुकुडी (तूतीकोरिन)	45
38	त्रिची	20
39	वेल्लोर	15

40	विल्लुपुरम	4
41	विरुधुनगर	8
कुल		**871**

ख. उत्तर प्रदेश में पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों की जिलेवार कुल संख्या (दिनांक 31.12.2023 तक)

क्र.सं.	जिला	पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों की संख्या
1	आगरा	3
2	अलीगढ	2
3	अयोध्या	1
4	बलिया	3
5	बाराबंकी	2
6	बरेली	5
7	बस्ती	1
8	शाहजहांपुर	3
9	बुलन्दशहर	1
10	चंदौली	2
11	चित्रकूट	2
12	देवरिया	3
13	इटावा	2
14	फरुखाबाद	1
15	फिरोजाबाद	1
16	गौतमबुद्धनगर	6
17	ग़ाज़ीपुर	4
18	गाज़ियाबाद	6
19	गोंडा	5
20	गोरखपुर	8
21	हरदोई	1
22	झांसी	3
23	कानपुर नगर	6
24	कासगंज	1
25	कौशांबी	1
26	लखीमपुरखीरी	3
27	ललितपुर	2
28	लखनऊ	21
29	महराजगंज	1
30	मथुरा	2
31	मऊ	1
32	मेरठ	3
33	मिर्जापुर	1
34	मुरादाबाद	2
35	मुजफ्फरनगर	2
36	प्रतापगढ़	3
37	प्रयागराज	10
38	रायबरेली	2

39	रामपुर	1
40	सहारनपुर	1
41	शाहजहांपुर	2
42	सिद्धार्थनगर	1
43	सोनभद्र	4
44	वाराणसी	11
कुल		**146**